

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक:2(1)साप्र/2/2015

जयपुर, दिनांक: 31-3-17

आदेश

डॉ० राहुल जैन (आईपीएस), पुलिस उपायुक्त, जयपुर का राजकीय आवास हेतु आवेदन पत्र दिनांक 22.06.2015 को विभाग में प्राप्त होने पर इनका नाम द्वितीय श्रेणी राजकीय आवास की वरीयता संख्या 22/2015 पर दर्ज किया गया था। डॉ० जैन को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10.02.2017 द्वारा राजकीय आवास संख्या 104, मॉडल टाउन, जयपुर आवंटित किया गया था।

डॉ० जैन का पुलिस उपायुक्त, जयपुर से जयपुर विकास प्राधिकरण में स्थानान्तरण होने की सूचना इस विभाग को प्राप्त नहीं होने के कारण सहवन से डॉ० जैन को पुलिस उपायुक्त, जयपुर में पदस्थापित मानते हुए उक्त आवंटन आदेश जारी किया गया था। श्री जैन के जयपुर विकास प्राधिकरण में कार्यरत होने का तथ्य जानकारी में आने के कारण (राजकीय आवास आवंटन नियमों में प्राधिकरण/बोर्ड/निगम में पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों को सामान्य प्रशासन पूल के राजकीय आवास आवंटन नहीं किया जाने के प्रावधानों के कारण) उक्त राजकीय आवास का आवंटन आदेश एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(इन्द्र सिंह राव)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
4. आयुक्त, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. डॉ० राहुल जैन, पुलिस उपायुक्त वर्तमान मुख्य प्रवर्तन अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
8. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (गुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर - कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
9. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वा० अभियांत्रिकी विभाग/जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, गांधीनगर, जयपुर।
10. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी गांधीनगर जयपुर - कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावें।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
12. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव